

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अगस्त 2017—भाद्र 8, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. डी-15-57-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2445-3827-चौदह-1, दिनांक 26 अप्रैल, 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, कटनी, जिला कटनी के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत मोहास, तहसील रीठी, जिला कटनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 126/2 की 5.00 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	126/2	5.00
	कुल योग . .	5.00

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—पक्का रोड.

दक्षिण में—शासकीय भूमि.

पूर्व में—शासकीय भूमि.

पश्चिम में—पक्का रोड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. डी-15-57-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 30th August 2017

No. D-15-57-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Katni, District Katni has been established by this Department's Notification No. 2445-3827-XIV-1, dated 26th April, 1969 shall be the Sub market yard, namely:—

PLACE

An area of 5.00 acrs land of below Mentioned khasra number 126/2 at Gram Panchayat Mohash at Rithi Tehsil of District Katni:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In acres) (3)
1	126/2	5.00
		All Total . 5.00

BOUNDED BY

- On the North by**—Pakka road.
On the South by—Govt. Land.
On the East by—Govt. Land.
On the West by—Pakka road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. डी-15-57-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त, 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र कटनी, जिला कटनी के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत मोहास, तहसील रीठी, जिला कटनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
 (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
 1 मोहास, 2 केना, 3 देवरी खुर्द, 4 बकलेहटा, 5 खाम्ह, 6 पटेहरा, 7 करहिया, 8 उमरिया, 9 टेहकारी, 10 मझगवां, 11 सिमडारी, 12 महरगवां, 13 रीठी, 14 डांग, 15 बरेहटा, 16 धनिया, 17 भरतपुर, 18 कुपिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. डी-15-57-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 30th August 2017

No. D-15-57-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated August 2017 the following area of Mohash of Distirct Katni shall be Sub market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Mohash in Tehsil Rithi of District Katni.
- (2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the Sub-market yard, namely:—
 1. Mohash, 2. Kena, 3. Devri khurd, 4. Baklehta, 5. Khamh, 6. Patehra, 7. Kahriya, 8. Umariya, 9. Tehkari, 10. Mazgawna, 11. Simdari, 12. Mahargawna, 13. Rithi, 14. Dang, 15. Barehta, 16. Dhaniya, 17. Bharatpur, 18. Kupiya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.